संख्या-312/3151/9-8-14-3पी(बजट)/2014

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊः दिनांक 02 दिसम्बर, 2014

विषयः- पशुवधशालाओं के संचालन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति में कन्वेनर के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय पशुवधशालाओं के संचालन हेतु गठित् राज्य स्तरीय समिति में कन्वेनर के अधिष्ठान व्यय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रथम अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 11.00 लाख (रूपये ग्यारह लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित मदों/शर्तो एवं प्रतिबन्धों पर आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

लेखाशीर्षक/मद का नाम	**प्राविधानित धनराशि (रूपये हजार में)**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि (रूपये हजार में)**
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-800-अन्य व्यय-05-पशुवधशालाओं के संचालन हेतु गठित राज्य स्तरीय कमेटी		
02-मजदूरी	242	242
04-यात्रा व्यय	42	42
07-मानदेय	100	100
08-कार्यालय व्यय	83	83
09-विद्युत व्यय	50	50
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	42	42
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	83	83
13-टेलीफोन पर व्यय	42	42
17-किराया, उप शुल्क और कर स्वामित्व	125	125
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	42	42
46-कम्प्यूटर हार्ड वेयर/साफटवेयर का क्रय	166	166
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	83	83
योग-	**1100**	**1100**

(रूपये ग्यारह लाख मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, नगरीय निकाय उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि जिन मदों के लिए स्वीकृत की जा रही है उन्हीं मदों में उसी सीमा तक व्यय की जायेगी। किसी भी मद में व्यवर्तन नहीं किया जायेगा।

(3) समय-समय पर जारी मित व्ययिता सम्बन्धी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय-विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को समयान्तर्गत अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के आयोजनेतर पक्ष के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-05-पशुवधशालाओं के संचालन हेतु गठित राज्य स्तरीय कमेटी" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-2-333361/10-2014-244/2014 दिनांक 28 नवम्बर, 2014 द्वारा प्रशासनिक विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहें है।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-312/3151(1)/नौ-8-14 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।